

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/रा.से.पृ./जोन-अजमेर/एफ.07653/2025/१७ दिनांक 06/02/२०२५

आदेश

श्री मुकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संखवास, मुण्डवा जिला-नागौर जिनकी जन्म तिथि 01.12.1984 है का राज्य सेवा में रहते 08.10.2024 को स्वर्गवास हो गया है, का नाम दिनांक 08.10.2024 से राज्य सेवा से पृथक/विलोपित किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री मुकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संखवास, मुण्डवा जिला-नागौर के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/रा.से.पृ./जोन-अजमेर/एफ.07653/2025/१७ दिनांक 06/02/२०२५
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. स्व० श्री मुकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक को उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :03-02-2025 06:43:04